राजस्थान सरकार (539)
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएचपी/2014 जयपुर, दिनांक :– 23 DEC 2015

आदेश

विषय :– मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 में आवेदित योजनाओं का अनुमोदन त्वरित गति से किये जाने हेतु अध्याय–3 के बिन्दु सं. 3 में भूमि रूपान्तरण, ले–आउट प्लान व बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है, इसी के साथ यदि प्रकरणों में पुनर्गठन किया जाना हो तो इसका अनुमोदन स्थानीय स्तर पर किये जाने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि अनेक प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का बिन्दु भी समाहित हो सकता है, जिसके लिए वर्तमान में दिशा–निर्देश नहीं होने के अभाव में अनुमोदन प्रक्रिया में समय लग सकता है।

उक्त प्ररिप्रेक्ष्य में सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान सं. 2 व 3 के तहत प्रस्तावित योजनाओं में भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो धारा 90ए के तहत प्राप्त आवेदन के साथ ही भू–उपयोग परिवर्तन का आवेदन प्राप्त कर लिया जावे और 30 दिवस की अवधि में भूमि रूपान्तरण व भू–उपयोग परिवर्तन की समानान्तर प्रक्रिया अपनाते हुये प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।
2. उपरोक्तानुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदित प्रकरणों में 7 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावे तथा भू–उपयोग परिवर्तन का अन्तिम निर्णय भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के तहत गठित समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर लिये जाने के सम्पूर्ण अधिकार दिये जाते है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के मुख्य उद्देश्यों में विकासकर्ताओं की योजनाओं का त्वरित अनुमोदन किया जाना भी सम्मिलित है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के तहत आवेदित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

23/12/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Orders/Circulars

(76)